फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

भारतीय स्टेट बैंक शाखा SARB जवाहर नगर, जयपुर जिला जयपुर

–प्रार्थी/सिक्योर केडिटर

बनाम

श्री भैरूलाल लखारा पुत्र श्री लक्ष्मी लाल लखारा (ऋणी) मकान नं. 323, लखारा बाजार, गांव गुढा, तहसील खमनोर जिला राजसमंद (राज0)

–ऋणी एवं अप्रार्थी

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 43/2022**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 23.05.2022 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा जयपुर ने दिनांक 04.02.2022 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी बैंक ने ऋणी श्री भैरूलाल लखारा पुत्र श्री लक्ष्मी लाल लाखारा को दिनांक 10.08.2018 को कुल रूपये 2500000/– अक्षरे पच्चीस लाख रूपये मात्र का ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्राप्त किये गये। उक्त ऋण की सुविधा के एवज में आवासीय मकान आराजी नं. 5093 गांव गुढा तहसील खमनोर जिला राजसमंद में स्थित निर्मित भवन जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकार्ड के अनुसार 994 वर्गफीट है प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तो के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 10.10.2019 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपति (एन.पी.ए.) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। ऋणी के ऋण खाते में रूपये 2306307/– दिनांक 06.11.2019 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे बकाया निकलते है। उक्त ऋणी को "एक्ट" की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी को दिनांक 06.11.2019 को नोटिस दिया गया। धारा 13(2) का नोटिस ऋणी द्वारा नोटिस पर Recived कर लेने के पश्चात ऋणी द्वारा बैंक में आज दिनांक तक 2,73,000/–रू. जमा	

न्यायालय जिला कलक्टर

करवाये । ऋणी द्वारा नोटिस प्राप्ति कें पश्चात् भी प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा संपूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवायी गयी व न ही बंधकशुदा संपत्ति का संपूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अंदर – अंदर ऋण राशि रू. 2306307/– अक्षरे तेइस लाख छः हजार तीन सौ सात मात्र रूपये दिनांक 06.11.2019 तक व इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे जमा करवाना था परंतु ऋणी ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार संपूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाने के कारण एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कब्जे व निलामी की कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है। बकाया राशि को वसूल करने के लिए बैंक को गिरवीकृत अचल संपति आवासीय मकान आराजी नं. 5093 गांव गुढा, तहसील खमनोर जिला राजसमंद स्थित निर्मित भवन जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकॉर्ड के अनुसार 994 वर्गफिट है। का कब्जा लेकर बिक्री करनी है। संपत्ति का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए संपत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक होने से अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत सहायता हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 का नोटिस दिनांक 06.11.2019 को दिया गया। धारा 13(2) का नोटिस ऋणी द्वारा नोटिस पर Recived कर लेने के बावजुद भी ऋणी द्वारा ऋण की बकाया राशि मय ब्याज सहित का भुगतान नहीं किया गया है। आवेदक बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा SARB जवाहर नगर, जयपुर जिला जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे के अनुसार बंधक सम्पति का विवरण श्री भैरूलाल लखारा पुत्र श्री लक्ष्मीलाल लखारा निवासी गांवगुडा पं.स. खमनोर की एक आवासीय संपत्ति मकान आराजी नं. 5093 गांव गुढा तहसील खमनोर जिला राजसमंद में स्थित निर्मित भवन जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकार्ड के अनुसार 994 वर्गफीट को बंधक रखा।जिसके पड़ौस निम्नानुसार है:– **(1) पूर्व में:– श्री गेहरी लाल, श्री गणेश लाल मेहता का प्लॉट (2) पश्चिम में :– आम रास्ता (3) उत्तर में :– श्री गणेश लाल सोनी का मकान (4) दक्षिण में :– श्री सुरेश कमलेश लोहार का मकान।**

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा जयपुर के प्राधिकृत

अधिकारी को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक शाखा जयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(नीलाभ सक्सेना)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द